प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल-प्रथम की नागौर जिला कार्यकारिणी का गठन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

नागौर, 26 सितम्बर (का.सं.)। प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और संघठन को नई दिशा देने के उद्देश से प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल-प्रथम की जिला कार्यकारिणी का गठन संभाग प्रभारी एम. ए. बागवान और जिला अध्यक्ष महेंद्र जाजड़ा और प्रदेश प्रचार प्रसार मंत्री महेंद्र बेनीवाल की मौजूदगी में किया गया।

कार्यकारिणी में श्री अर्जुन राम देग को जिला संरक्षक, महेंद्र पूनिया को जिला संयोजक, संगीता पूनिया को महिला जिला अध्यक्ष, राजपाल गोलिया को जिला सचिव , राजत खान को कोषाध्यक्ष, विरेन्द्र काला को जिला संगठन मंत्री, सुशील धरणीया को जिला प्रवक्ता, सुरेन्द्र कालवा को मीडिया प्रभारी एवं श्री कप्तान सिंह, श्रवण कुमार चायल, दीपक डिडेल, सुशील कुमार को जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सभी पदाधिकारियों ने संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए सभी का आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रीय साइबर हेल्प लाइन नं. 1930 से प्रदेश में लगेगी साइबर क्राइम पर लगाम

जयपुर, 26 सितंबर। प्रदेश में त्योहारों के सीजन के चलते ऑनलाइन ठगी एवं अन्य साइबर धोखाधड़ी जैसे अपराधों से रोकथाम के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर ए. सावंत ने राष्ट्रीय साइबर हेल्प लाइन नं. 1930, साइबर सुरक्षा जागरूकता के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी विभाग को एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अक्टूबर माह में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिससे प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति तक इस हेल्प लाइन नं. 1930 की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में साइबर ठगी से रोकथाम एवं साइबर जागरूकता को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहें थे। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को शहर के प्रमुख चौराहों पर राष्ट्रीय साइबर हेल्प लाइन नं. 1930 और साइबर अपराधों की रोकथाम के प्रति जागरुकता के लिए होर्डिंग्स लगवाने, जिलों में सोशल मीडिया जैसे इस्ट्राग्राम, फेसबुक एवं एक्स हैण्डलस पर स्थानीय इंफलुएसर्स के साथ मिलकर प्रचार-प्रसार, ऊर्जा एवं पीएचईडी विभाग को उपभोक्ता बिलों पर 1930 हेल्प लाइन नम्बर का प्रकाशन, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक संघों के साथ बैठक आयोजित कर साइबर सुरक्षा जागरूकता पहलुओं जैसे ओटीपी, एटीम पासवर्ड साझा नहीं करना, अनजान लिंक्स पर क्लिक नहीं करने, अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने, डाटा प्राईवेसी, डिजिटल पेमेंट सेफ्टी आदि से संबंधित सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरुक करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने केकड़ी में शहर चलो अभियान 2025 शिविर का किया निरीक्षण, नागरिक सेवाओं को देने के निर्देश

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 26 सितम्बर (दीपांकुर चौहान)। राजस्थान सरकार के शहर चलो अभियान 2025 के तहत नगर पालिका परिषद, केकड़ी में आयोजित शहरी शिविर का निरीक्षण अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का सूक्ष्मता से जायज़ा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

निरीक्षण के दौरान भंडारी ने शिविर स्थल पर हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से करने को कहा, जिससे नागरिकों को विभिन्न योजनाओं व सेवाओं की जानकारी आसानी से मिल सके। उन्होंने प्री-कैंप गतिविधियों को भी गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों को पहले से चिह्नित कर शिविर के दिन उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। भंडारी ने शिविर के दौरान संबंधित वार्डों में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, नालियों की मरम्मत एवं सड़कों के पेंचवर्क कार्य में लापरवाही पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया कि समुचित सर्वे करवा कर नियमानुसार अल्पकालीन निविदा प्रक्रिया के तहत कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए।

नागरिक सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, स्ट्रीट वेंडर पहचान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री स्व-निधि योजनाओं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े आवेदनों को प्रभावी रूप से लिया जाए एवं पात्र लाभार्थियों को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही घरेलू शौचालय निर्माण के लिए भी आवेदन लिए जाएं। अंत में, भंडारी ने शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अभियान की जानकारी हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए ताकि सभी लोग इन जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।नगरपालिका अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाएगी।

ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन हुआ ग्राम पंचायत सूपां व सांपला में सरवाड़ उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने लिया जायजा

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकड़ी/सरवाड़ 26 सितम्बर (दीपांकुर चौहान)। ग्राम पंचायत सूपां व सांपला में दिनांक 26.9.2025 को राज्य सरकार द्वारा नियोजित ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत आयोजन किया गया।

सरवाड़ उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने शिविर में पहुंचकर लिया जायजा ओर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए इस दौरान मौके पर ही सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली शिविर में निम्न प्रकरणों का समाधान किया गया राजस्व विभाग ,नामांतरण के 16 प्रकरण,फार्मर रजिस्ट्री 11 किसान गिरदावरी 56,मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र 7 ,आपसी सहमति बंटवारा प्रकरण 9,धारा 136 के प्रकरण 2,पंचायत राज विभाग ,स्वच्छ भारत मिशन 10,मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन ,स्वामित्व योजना 17,कृषि विभाग ,बीज मिनी किट वितरण 2,मृदा स्वास्थ्य कार्ड 16 वितरण ,फसल बीमा 22,वन विभाग वृक्षारोपण 201 ,पशुपालन विभाग ,पशु टीकाकरण 80,पशु बीमा 29 ,खाद्य सुरक्षा विभाग ,हस्त्रक्ष आवेदनों का निस्तारण 3 ई चङ्कष्ट 22,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,उपचार 59 स्क्रीनिंग 69,टी बी किट वितरण 1,जल संसाधन विभाग कोज वे के प्रस्ताव 1,बांध की ऊंचाई के प्रस्ताव 1 जल भराव के प्रस्ताव 1,श्रम विभाग ,टूल किट /औजार सहायता योजना में पंजीयन व्यक्तियों की संख्यां 2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेंशन प्रकरण 9,पालनहार प्रकरण 8,उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हिमानी ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से प्रगति रिपोर्ट ली मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया एवं इस दौरान मौके पर सरवाड़ उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी जिला परिषद सदस्य हगामी लाल चौधरी भाजपा नेता हरिमोहन शर्मा मंडल अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद गोस्वामी नायब तहसीलदार टांटोटी शिवराम मीणा नायब तहसीलदार सरवाड़ रमेश चंद सोनी विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार सहायक विकास अधिकारी रघुवीर सिंह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी संजय पाटनी भू अभिलेख निरीक्षक जगदीश प्रसाद माली सियाराम मीणा महावीर प्रसाद खटीक राम प्रसाद मीणा पटवारी मुकेश कुमार राजेंद्र कुमार लक्ष्मी भूपेंद्र मीना मेडिकल ऑफिसर डॉ राजकुमार डॉक्टर वंदना सुपरवाइजर दीप्ति प्रजापत रेंजर दुर्गेश कुमार सैनी सहायक अभियंता सुरेश सिंह सोन राज मीणा सहायक कृषि अधिकारी सुजीत शर्मा कृषि पर्यवेक्षक मनोज कुमार मीणा सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

डांडिया वाइब्स का सफलतापूर्वक आयोजन

जयपुर, 26 सितम्बर (का.सं.)। महर्षि अरविन्द इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस एंड मैनेजमेंट द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 2025 को पी. एस. पैराडाइज़, विद्याधर नगर में भव्य नवरात्रि कार्यक्रम डांडिया वाइब्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ माँ दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. भारत पाराशर जी, मुख्य अतिथि श्री राजीव अरोड़ा जी (पूर्व मंत्री, राजस्थान सरकार एवं संस्थापक, आम्रपाली ज्वेल्स) तथा विशिष्ट अतिथि श्री सुशील पारीक जी(पूर्व उपाध्यक्ष, राजस्थान युवा बोर्ड की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन किया।

रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे छात्र-छात्राओं ने गरबा और डांडिया की मनमोहक प्रस्तुतियों से पूरे वातावरण को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। इस अवसर पर बेस्ट डांडिया ड्रेस,बेस्ट डांसर (गरबा एवं डांडिया तथा ग्रुप परफॉर्मेंस जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत करना और छात्रों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देना रहा। इस आयोजन को सफल बनाने में कॉलेज की सांस्कृतिक समिति,शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राओं का विशेष सहयोग रहा। अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और माँ दुर्गा से सभी ने सुख-समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अन्तर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा नेपाल में जेन जी आन्दोलन में शहीद हुये परिवारो को आर्थिक सहायता

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर/काठमाण्डो, 26 सितम्बर (का.सं.)। अन्तर्राष्ट्रीय समरसता मंच एंव इण्डो-नेपाल समरसता ऑर्गोनाईजेशन द्वारा राजनयिक सम्बंधो को वैश्विक स्तर पर बढाते हुए नेपाल राष्ट्र के प्रथम उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति परमानन्द झा के माध्यम से राजनयिक सम्बन्ध वियना अभिषरण अधिनियम 1972, जिनेवा कन्वेंशन 1949, भारत-नेपाल विदेश सचिवों का सांस्कृतिक अनुबन्ध (करार) दिनांक 09 सितम्बर 2004 नई दिल्ली भारत-नेपाल संधि 1950 के अन्तर्गत विश्व बन्धुत्व एकामहे के लिए नेपाल राष्ट्र में हाल ही में हुए ''जेन जी'' आन्दोलन में नेपाल राष्ट्र के 72 व्यक्तियो को खोने की क्षति से नेपाल राष्ट्र में हुऐ परिवर्तन से नेपाल सरकार की कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की जी द्वारा उन सभी 72 व्यक्तियो को नेपाल सरकार ने शहीद का दर्जा दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा उन सभी शहीद परिवारों की इस दुःखद घडी में उनके साथ खड़े होने के साथ-साथ उनको आर्थिक मदद के लिये मंच के प्रमुख सदस्यो से अपील की जायेगी। मंच के प्रमुख सदस्य, श्री श्री 1008 श्री रामनाथ जी महाराज, राजन सरदार, वैद्य श्याम सुन्दर पारीक, रमनीक प्रभाकर, वैद्य प्रदीप मिश्रा, ठेकेदार कालू राम सोनेल, डॉ. टेक चन्द भण्डारी, श्री हवासिंह आय, श्रीमती सत्येन्द्र पन्नू, सवेन्द्रजीत सिंह, डॉ. बी. एल. देवन्दा, डॉ. अशोक कुमार अजाद, खुशनन्दन मंडल, निर्मल सिंह परिहार, मोहन बतरा, श्रीमती शालिनी उपाध्याय, सुरेश पूनिया, संदीप नेहरा, डॉ. भारती झा, डॉ. जयाकान्त बीवाल एडवोकेट, श्रीमती प्रभा सिंघवी, राधेश्याम बतरा, सुरेश कुमार शर्मा, फतेह सिंह, गोपेश शर्मा, आनंद राज शर्मा, डॉ. प्रशान्त कुमार, मिर्जा इकबाल बैग, पुखराज सोनी, शिव राज यादव, श्रीमती परेसता राव, डा. पुरण मल शर्मा, पृथ्वी राज जैन, हरीश धायभाई, सुख महेन्द्र सिंह, सुन्दर लाल, जय नन्दवानी, पदम श्री डॉ रामचेत चौधरी, रामनारायण चौधरी, ताराचन्द भावरिया, डॉ. टेक चन्द भण्डारी, नरेन्द्र कुमार शर्मा, हरिश कटारिया, डॉ0 मेहन्द्र सिंह वशिष्ठ, ओम प्रकाश बांठिया सीए,, डॉ. विनोद कुमार शर्मा, सुश्री उषा द्विवेदी, इंजी. नरेन्द्र कुमार पाण्डेय एडवोकेट , जलालुदीन भामाशाह सेठ रमेश कुमार बंसीलाल जैन डेडवा को सहयोग करने की अपील की गई है। नेपाल राष्ट्र के पूर्व राजदुत डॉ0 विष्णु हरि नेपाल ने बताया की इण्डो-नेपाल समरसता ऑर्गोनाईजेशन के सयोजक विश्व रत्न स्व: श्री महावीर प्रसाद टोरड़ी ने दो देशो को जोड़ने के लिए इन दोनो देशो के बीच एक ऐसी मुहिम चलाई थी जिसमे दोनो देशो के सम्बन्ध मजबूत हो। इसी मुहिम को आगे बढाते हुए मंच के मुख्य सलाहकार डॉ0 कुलदीप प्रसाद शर्मा व मंच के प्रेरक सदस्यो द्वारा नेपाल आन्दोलन में 72 शहीद हुए परिवारो को आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव किया जा रहा है। मंच के सभी प्रेरक सदस्यो को पत्र के माध्यम से सहयोग की अपील की जा रही है।

एसबीआई लाइफ और बीसीसीआई ने स्तन कैंसर जागरुकता को दिया बढ़ावा

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

नई दिल्ली, 26 सितम्बर (का.सं.)। क्रिकेट की व्यापक पहुंच का उपयोग सामाजिक बदलाव लाने के लिए करते हुए, भारत की सबसे भरोसेमंद जीवन बीमा कंपनियों में से एक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मिलकर थैंक्स-ए-डॉट पहल के माध्यम से स्तन कैंसर जागरूकता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया।

मैच से पहले, एक विशेष प्री-मैच समारोह में एसबीआई लाइफ के प्रेसिडेंट और सीडीओ, एम. आनंद, और बीसीसीआई के एक अधिकारी ने एसबीआई लाइफ के ब्रांड, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस और सीएसआर के प्रमुख, रविंद्र शर्मा, और अभिनेत्री व स्तन कैंसर से जंग जीत चुकीं महिमा चौधरी की उपस्थिति में भारतीय महिला टीम की कप्तान और खिलाड़ियों - हरमनप्रीत कौर, प्रतीका रावल, स्नेह राणा, को विशेष रूप से डिजाइन की गई थैंक्स-ए-डॉट गुलाबी जर्सी सौंपी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट और मुख्य वितरण अधिकारी, एम. आनंद ने कहा, हम बीसीसीआई और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने थैंक्स-ए-डॉट गुलाबी जर्सी पहनकर इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर स्तन कैंसर जागरूकता को बढ़ावा दिया। महिमा चौधरी ने कहा, एसबीआई लाइफ की थैंक्स-ए-डॉट पहल से जुड़ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता को एक शैक्षिक तरीके से फैलाती है। मैंने खुद इस लड़ाई को लड़ा है, और मैं जानती हूं कि शीघ्र पहचान ही कुंजी है। हग ऑफ लाइफ महिलाओं को हर महीने स्तन की स्वयं-जांच करने की याद दिलाता है।

सरकार की मंशा अनुरुप शिविरों में हाथों हाथ हो आमजन के कार्यः ओमप्रकाश भड़ाणा

सवाई माधोपुर, 26 सितम्बर (मदन मोहन गर्ग)। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाणा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीण सेवा शिविर एवं शहरी सेवा शिविर की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आमजन की समस्याओं का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ हाथों-हाथ उपलब्ध कराया जाए।बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, स्वामित्व योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, बीज मिनी किट वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जन आधार नामांकन, आधार सीडिंग, राशन कार्ड एलपीजी आईडी मैपिंग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, यूडीआईडी कार्ड, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में सुनिश्चित किया जाए कि अन्त्योदय की भावना से नीचले स्तर तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को मिले और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर आमजन को सीधे लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम हैं और इनके सफल क्रियान्वयन से जिले के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। बैठक में जिला कलक्टर काना राम, अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा, पूर्व विधायक गंगापुर सिटी मानसिंह गुर्जर, गंगापुर सिटी सभापति शिवरतन अग्रवाल, गंगापुर सिटी प्रधान मंजू गुर्जर सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कानपुर में फिर दिखे विवादित पोस्टर, मेरठ में जुमे की नमाज के बीच रहा पुलिस का कड़ा पहरा

कानपुर/लखनऊ, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में विवाद जैसी स्थिति बन रही है। शुक्रवार को कानपुर में एक बार फिर यह विवादित पोस्टर देखे गए। मेरठ में भी जुमे की नमाज के बीच पुलिस को निगरानी बढ़ानी पड़ी।

मेरठ में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के बाद प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स के साथ-साथ ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसी बीच, शुक्रवार को मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में क्यूआरटी के साथ-साथ पुलिस बल की अधिक तैनाती की गई है। इन इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू की गई है। एडीजी ने बताया कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने या भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ मामलों में गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। पुलिस की तैयारियों और जगह-जगह तैनाती से माहौल शांत है। उन्होंने फिर से दोहराया कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि, कानपुर के रावतपुर इलाके में फिर से 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर देखे गए हैं।

Niwas Housing Finance Private Limited
(Formerly known as Indostar Home Finance Private Limited)
Regd. Office: - Unit No. 305, 3rd Floor, Wing 2/E, Corporate Avenue, Andheri- Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400093
CIN : U65990MH2016PTC271587 Tel : +91 22 65202222
Email: connect@niwashfc.com; Website: www.niwashfc.com
NIWAS HOUSING FINANCE

सूचना

मास्टर निर्देश-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के पैराग्राफ 93 के अनुसार सूचित किया जाता है कि कंपनी का शाखा कार्यालय, **प्रथम तल, खसरा संख्या 1333/2205, बासड़ी, बानसूर रोड, कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान-303108, 31 दिसंबर, 2025** के कार्य समय की समाप्ति से बंद रहेगा। यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या **connect@niwashfc.com** पर ईमेल भेज सकते हैं।
यह सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.niwashfc.com** पर देखी जा सकती है।

निवास हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए
(पूर्व में इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
हस्ताक्षरकर्ता/-
निधि सदानी
दिनांक: 26-09-2025 **मुख्य अनुपालन अधिकारी**

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. नीलामी सूचना

यह आम जनता को सूचित करने के लिए है कि फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने उन खातों (नीचे उल्लेखित) से संबंधित सोने के गहनों की नीलामी करने का निर्णय लिया है जो अतिदेय हो गए हैं या जिनमें ग्राहकों की चूक या मार्जिन भंग है। नीलामी नीचे निर्दिष्ट संबंधित शाखाओं में **बुधवार 08-10-2025 को सुबह 10.00 बजे से 12.00 बजे के बीच** आयोजित की जाएगी। यह नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने तक जारी रहेगा।

चौमू 9782155686 **FEDGL0541**0000005 **फतेहपुर - जयपुर** 8005651280 **FEDGL0505**0002121, 0002122, 0002131, 0002144, 0002149, 0002150 **कालवाड़ रोड** 9610084678 **FEDGL0441**0004001, 0004011, 0004012 **मानसरोवर - जयपुर** 9829669341 **FEDBD0504**0000080 **मुरलीपुरा** 7742052906 **FEDGL0442**0003640, 0003645, 0003654, 0003657, 0003660 **नवलगढ़ - जयपुर** 6376877560 **FEDGL0506**0001916, 0001923, 0001928, 0001934, 0001940, 0001941 **रामगंज जयपुर** 8387049058 **FEDGL0480**0002749, 0002753 **FEDDS0480**0000175 **सांगानेर** 8107757860 **FEDGL0493**0003211, 0003216, 0003217, 0003232, 0003238, 0003240, 0003250 **सीकर** 9001493450 **FEDGL0421**0005752 **FEDDS0421**0000533

स्थान या तिथि में परिवर्तन, यदि कोई हो तो, हमारी वेबसाइट **www.fedfina.com** पर प्रदर्शित किया जाएगा। भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। जो ग्राहक अपने गहने जारी करना चाहते हैं, वे उस आधार शाखा में जा सकते हैं जहां ग्राहक द्वारा गहने गिरवी रखे गए थे या लागू नियमों और शर्तों के अधीन 07-10-2025 को/या उससे पहले ऊपर बताए गए नंबर पर संपर्क करें।
नीलामी संबंधित शाखाओं में आयोजित की जाएगी, यदि किसी कारण से दी गई तिथि पर नीलामी पूरी नहीं होती है, तो उसके संबंध में नीलामी हमारी वेबसाइट पर विवरण प्रदर्शित करने के बाद जिला स्तर की शाखा में बाद के कार्य दिवसों में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई और संचार जारी नहीं किया जाएगा।

दिनांक : 27.09.2025 **एसडीएल- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए**
स्थान : राजस्थान **फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

SMFG India Credit Pragati Ki Nayi Pehchaan
SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 उत्तर एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम 2002 (''अधिनियम'') और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (''नियम'') के प्रावधानों के तहत।
अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) का अधिकृत कार्यालय है और जारी किए गए नियम 3 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस, निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने का आह्वान करता है। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाने और प्रकाशन द्वारा प्रभावित की जा रही है। मांग नोटिस(ओं) का विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि
1. धर्म सिंह यादव 2. लाली देवी लैन - 213820910809646	19 सितंबर, 2025 रुपये 27,05,400.22 (सत्ताईस लाख पाँच हजार चार सौ बाईस पैसे मात्र) 12 सितंबर, 2025 तक।
अचल संपत्ति/बंधक रखी संपत्तियों का विवरण	
संपत्ति की मालिक - श्रीमती लाली देवी पत्नी छगन लाल यादव संपत्ति विवरण - संपत्ति का पूरा हिस्सा आवासीय प्लॉट संख्या GA-17, स्कीम टैगोर नगर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान, प्लॉट का माप पूर्व से पश्चिम 50 फीट और उत्तर से दक्षिण 30 फीट है, कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज है। चार तरफ की सीमाएँ - पूर्वः प्लॉट संख्या GA-16, पश्चिमः अमदारफत सरकारी रोड 30 फीट, उत्तरः अमदारफत सरकारी रोड 25 फीट, दक्षिणः प्लॉट संख्या GA-18	

उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि
1. सृष्टि रचना 2. योगेन्द्र सिंह गुर्जर 3. कविता गुर्जर 4. गिरधारी सिंह लैन - 173501311347316	16 सितंबर, 2025 रुपये 31,68,067/- (इकतीस लाख अड़सठ हजार सड़सठ रुपये मात्र) 12 सितंबर, 2025 तक।
अचल संपत्ति/बंधक रखी संपत्तियों का विवरण	
संपत्ति की मालिक - श्री योगेन्द्र सिंह गुर्जर, संपत्ति विवरण - संपत्ति का पूरा हिस्सा फ्लैट/यूनिट संख्या 110, 5वीं मंजिल पर, (छत के अधिकार के बिना), प्लॉट संख्या 222 स्कीम ''श्री दादूदयाल नगर सीडी-ब्लॉक'', कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर राजस्थान - 302020, माप - सुपर बिल्ट-अप एरिया 1600 वर्ग फीट, चार तरफ की सीमाएं: - पूर्वः रोड 60 फीट, पश्चिमः प्लॉट संख्या 225, उत्तरः प्लॉट संख्या 223, दक्षिणः प्लॉट संख्या 221	

उधारकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लेखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक के खर्चों के साथ करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा ली गई ऋण सुविधा उधारकर्ता(ओं) द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति(ओं) होने के कारण अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता(ओं) निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट सुरक्षित संपत्ति(ओं) को अपने कब्जे में लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से उन्हें स्थानांतरित करना या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति(ओं) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति(ओं) की बिक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः जयपुर **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांकः 27.09.2025 **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड**

शहरी सेवा शिविर अभियान के दौरान जारी किये पट्टेः बृजेन्द्र मीना आयुक्त

गंगापुर सिटी, 26 सितम्बर (मदन मोहन गर्ग)। राज्य सरकार एवं स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा शहरी सेवा षिविर-2025 का आयोजन 17 सितम्बर 2025 से किया जा रहा है। इसी कड़ी में 26 सितंबर 2025 को वार्ड नंबर 16 से 20 तक का कार्यक्रम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 3 गंगापुर सिटी में आयोजित किया गया। शिविर के दौरान नगर निकाय की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के साथ-साथ आमजन को साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, कृषि भूमि नियमन, लीज डीड, पुरानी आबादी/69ए/स्कीम के पट्टे, उपविभाजन, भवन निर्माण स्वीकृति, नाम हस्तान्तरण, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि, फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, पेंशन प्रकरण, पालनहार योजना, राशनकार्ड और अन्य विभागों से संबंधित सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर दिया गया। साथ ही आमजन की शिकायतों और परिवादों का मौके पर निस्तारण भी किया गया।

शिविर की व्यवस्थाओं में अभियान के नोडल प्रभारी तरुण जैन, सहायक नोडल प्रभारी मनमोहन दुबे, प्रभारी अधिकारी सुरेश शर्मा, मानसिंह मीना, वरिष्ठ सहायक राजेश मीना, लालाराम वर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रूप से जुटे रहे।

26 सितंबर को शिविर में कृषि भूमि नियमन के तहत 6 पट्टे, भवन निर्माण स्वीकृति/नाम हस्तान्तरण 1 प्रकरण, प्रधानमंत्री स्वनिधि 14 प्रकरण, मुख्यमंत्री स्वनिधि 13 प्रकरण, स्ट्रीट लाइट 13 प्रकरण, यूडी टैक्स 1 प्रकरण, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन 65 प्रकरण, घर-घर कचरा संग्रहण/पूरक पोषाहार 4 प्रकरण, पेंशन 1 प्रकरण, पालनहार योजना 2 प्रकरण, जनाधार कार्ड 33 प्रकरण, खाद्य सुरक्षा 7 प्रकरण, विद्युत विभाग 3 प्रकरण और सीवरेज 9 प्रकरण।आयुक्त बृजेंद्र मीना ने बताया कि आगामी शहरी सेवा षिविर-2025 का आयोजन 27 सितंबर 2025 को वार्ड नंबर 21 से 25 तक, विश्रामगृह परिसर रेलवे स्टेशन के पास किया जाएगा।

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08